रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 311] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 1975/कार्तिक 23, 1897
No. 311] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 1975/KARTIKA 23, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 14th November 1975

G.S.R. 558(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 359 of the Constitution, the President hereby declares that the right of any person (including a foreigner) to move any court for the enforcement of the rights conferred by clause (1) of article 20 and article 31 of the Constitution, in so far as they relate to any proceedings, declarations or orders or other action or thing taken, made, or done, or purporting to have been taken, made or done, under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Ordinance, 1975 (No. 20 of 1975), shall remain suspended for the period during which the Proclamations of Emergency made under clause (1) of article 352 of the Constitution on the 3rd December, 1971 and on the 25th June, 1975, are both in force.

2. This Order shall extend to the whole of the territory of India except the State of Jammu & Kashmir.

[No. II/16011/89/75-S&P(D.II)]

S. L. KHURANA, Secy.

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1975

सा०का०नि० 558(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 359 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 20 के खंड (1) और अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के, जहां तक उनका संबंध तस्कर और विदेशी मुद्रा चक्रचालक (सम्पत्ति समपहरण) अध्यादेश, 1975 (1975 का 20) के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित, किन्हीं कार्यवाहियों घोषणाओं या आदेशों या अन्य कार्य या बात से है, प्रवर्तन के लिए किसी न्यायालय में समावेदन करने का किसी व्यक्ति (जिसमें कोई विदेशी भी सम्मिलित है) का अधिकार उस अवधि तक निलम्बित रहेगा, जिसके दौरान संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड (1) के अधीन 3 दिसम्बर, 1971 और 25 जून, 1975 को की गई दोनों आपात उद्घोषणाएं प्रवृत्त रहती है ।

2. यह आदेश, जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर, सम्पूर्ण भारत राज्यक्षेत्र को लागू होगा ।

[सं० II/16011/89/75–एस एंड पी (डी० II)]

एस० एल० खुराणा, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975